

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
विमुक्त्यादेश

झापांक-पु0/सू0/केन्द्र/नि0/प्राधिकार-85/2014.....100..... पटना, दिनांक 01/09/2026

सेवा में,
महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार पटना ।

औपचारिक रूप से
परामर्शित द्वारा आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में श्रीमती राधिका सिन्हा इन्स्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी, पटना को (31-06) सहायक अनुदान गैर वेतन मद में स्वीकृत की गयी रू०-40,00,000=00 (चालीस लाख रुपये) मात्र की राशि में से द्वितीय चौमाही अन्तर्गत तत्काल रू०-12,80,000=00 (बारह लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र के व्यय की विमुक्ति के संबंध में।

उद्देश्य:-

श्रीमती राधिका सिन्हा इन्स्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी, पटना को वित्तीय वर्ष 2026-27 में सरकार द्वारा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत विषय शीर्ष-0002-31-06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में रू०-40,00,000=00 (चालीस लाख रुपये) मात्र के राशि का उपबंध के आलोक में विभागीय स्वीकृति सं०-75, दिनांक-05.08.2026 द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए 33 प्रतिशत के आधार पर रू०-13,20,000=00 (तेरह लाख बीस हजार रुपये) मात्र की विमुक्ति प्रदान की जा चुकी है, जिसके आलोक में उक्त राशि को प्रश्नगत पुस्तकालय के संचालन हेतु उपलब्ध कराया जा चुका है।

वित्त विभाग के निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में द्वितीय चौमाही अन्तर्गत बजटीय उपबंध के आलोक में स्वीकृत राशि का 32 प्रतिशत की राशि का विमुक्त्यादेश सक्षम प्राधिकार का अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है। उक्त के आलोक में श्रीमती राधिका सिन्हा इन्स्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी, पटना के लिए संचालन तथा इसके रख-रखाव पुस्तकालय के अवैतनिक सचिव द्वारा ली जा रही सेवाओं का भुगतान (31-06) सहायक अनुदान गैर वेतन मद में उपलब्ध करायी गयी राशि से की जा सकती है। चूँकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में श्रीमती राधिका सिन्हा इन्स्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी, पटना के लिए सहायक अनुदान गैर वेतन मद में स्वीकृत की गयी रू०-40,00,000=00 (चालीस लाख रुपये) मात्र में से द्वितीय चौमाही अन्तर्गत विमुक्त की जाने वाली राशि को वेतन एवं पेंशनादि मद में व्यय नहीं किया जा सकता है। अतएव, उक्त मद में रू०-12,80,000=00 (बारह लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र के राशि का व्यय की विमुक्ति प्रदान की जाती है।

आदेश-स्वीकृत।

महाशय,

2. श्रीमती राधिका सिन्हा इन्स्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी, पटना को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान गैर वेतन मद में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-75, दिनांक-05.08.2026 द्वारा निम्न प्रकार से क्रमांक-01 में राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी

है। उक्त राशि में से तत्काल द्वितीय चौमाही अन्तर्गत विमुक्त की जाने वाली राशि का विवरण क्रमांक-02 में निम्नवत् है:-

क्र. सं.	0002-31-06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद	राशि
1.	वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वीकृत की गयी राशि	40,00,000=00
2.	द्वितीय चौमाही अन्तर्गत विमुक्त की जाने वाली राशि @32%	12,80,000=00

- विमुक्त की जाने वाली राशि का विकलन सिन्हा लाईब्रेरी, पटना के बजटीय शीर्ष अन्तर्गत व्यय का विकलन मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2205-कला एवं संस्कृति, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-105- सार्वजनिक पुस्तकालय, उपशीर्ष-0002-सिन्हा लाईब्रेरी, पटना विपत्र कोड-21-2205-00-105-0002, विषय शीर्ष-0002-31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद के अन्तर्गत होगा।
- उक्त आवंटन को उप निदेशक प्रशासन-सह-बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के द्वारा C.F.M.S 2.0 से आवंटित करते हुए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।
- उक्त आवंटन से पुस्तकालय के रख-रखाव एवं आवश्यक सामग्रियों पर व्यय किया जा सकेगा।
- उक्त राशि निदेशक, पुस्तकालय-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा BTC-42 पर विपत्र तैयार कराकर कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना के माध्यम से BANK NAME- BANK OF BARODA, SAVING ACCOUNT No-00030100018204, IFSC CODE- BARBOPATNAX, BRANCH-PATNA MAIN BRANCH, PATNA-800001 में तत्काल सुरक्षित रखते हुए RTGS के माध्यम से सिन्हा लाईब्रेरी, पटना के बैंक खाते में विहित प्रक्रिया तहत उपलब्ध करायेंगे, साथ ही यह सुनिश्चित हो लेंगे कि इसके पूर्व वित्तीय वर्ष का संबंधित पुस्तकालयों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ली गई है। इसके पश्चात् ही राशि का उपयोग किया जायेगा।
- भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग, वित्त अंकेक्षण विभाग, बिहार एवं महालेखाकार बिहार, पटना को लेखा का अंकेक्षण निरीक्षण करने का अधिकार होगा। पुस्तकालय के संबंधित सचिव इस राशि का लेखा का संधारण अलग से करेंगे।
- स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र (फार्म-42) में विधिवत भरकर एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण के साथ निर्धारित अवधि में विभाग को समर्पित किया जायेगा, ताकि प्रतिहस्ताक्षरोपरांत महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को प्रेषित किया जा सके।
- 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र का समायोजन महालेखाकार, बिहार से करा लिया जायेगा।

10. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश सं०-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।
11. स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय संकल्प सं०-12888 दिनांक-03.12.2024 के कंडिका-3 और 5 (ख) (ii) के आलोक में निर्गत की जा रही है तथा वित्त विभागीय परिपत्र सं०-7355, दिनांक-05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
12. उक्त मद की राशि को किसी भी परिस्थिति में कर्मियों के वेतन एवं पेंशनादि मद में व्यय नहीं जायेगा।
13. संचिका संख्या-पु०/सू०/केन्द्र/निदे०/प्राधिकार-85/2014 के पृ०-212-213/टि० पर दिनांक:-17.08.2026 को राशि की निकासी पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
14. संचिका संख्या-पु०/सू०/केन्द्र/निदे०/प्राधिकार-85/2014 के पृ०-216/टि० पर दिनांक:-27.08.2026 को माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
15. राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जाय।
16. मितव्ययिता अवश्य बरती जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-पु०/सू०/केन्द्र/निदे०/प्राधिकार-85/2014-..... पटना, दिनांक.....
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-पु०/सू०/केन्द्र/निदे०/प्राधिकार-85/2014 100..... पटना, दिनांक 01/09/2026
प्रतिलिपि :- निदेशक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालय, बिहार, पटना/सिन्हा लाईब्रेरी, पटना/बजट पदाधिकारी/बजट शाखा प्रशाखा-05/लेखा शाखा, पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालय/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


31.08.26
सरकार के उप सचिव